2022 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 10 का संशोधन।
3. धारा 21 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रुप में)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

धारा 10 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 10 में, ''तीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''एक करोड़'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) में, ''बीस लाख'' शब्दों के स्थान पर ''साठ लाख'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 10 सिविल न्यायालयों की मूलभूत धन सम्बन्धी अधिकारिता का उपबंध करती है और धारा 21 किसी सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश से जिला न्यायाधीश की अपीलीय धन सम्बन्धी अधिकारिता का उपबंध करती है। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायलयों की मूलभूत धन सम्बन्धी अधिकारिता को तीस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने और ज़िला न्यायाधीश की अपीलीय धन सम्बन्धी अधिकारिता को बीस लाख रुपये से साठ लाख रुपये करने की संस्तुति की है। माननीय उच्च न्यायालय की सिफारिश पर पूर्वोक्त अधिनियम में तद्नुसार संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जयराम ठाकुर)
मुख्य मंत्री।

शिमला:
तारीख................., 2022

अधिप्रमाणित

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश

वित्तीय ज्ञापन

----शून्य---

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

----शून्य---